

A.C.A. - ...  
15/5/18

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-1/गो0प्र0) विभाग

क्रमांक प. 13(76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011

जयपुर, दिनांक:

17 MAY 2018

1878  
11/5/18

परिपत्र:-

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाइन संशोधित IPR भरने के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.12.17 के द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों को वर्ष 2017 (1 जनवरी 2018 की स्थिति में) अपना अचल सम्पत्ति विवरण SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर 31 जनवरी तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। राज्य सरकार को उनके द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों में IPR नहीं भरते हेतु तकनीकी कारण जिसमें विशेष रूप से आधार कार्ड से लिंक नहीं होने की समस्या बताई गई है।

राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष ही SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर से अचल सम्पत्ति की सूचना भरने हेतु निर्देशित किया गया था। SSO-ID से राज-काज सॉफ्टवेयर पर IPR भरने हेतु अधिकारियों को अन्तिम अवसर 31 मई 2018 तक प्रदान किया जाता है। इस अवधि में सभी तकनीकी खामियों को दुरुस्त करते हुए अपनी अचल सम्पत्ति विवरण राज-काज सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से भर दे अन्यथा उनके विरुद्ध दिनांक 27.12.2017 के परिपत्र अनुसार कार्यवाही की जावेगी। साथ ही जिन अधिकारियों द्वारा IPR भरते समय सहवन से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गयी थी। वे सभी अधिकारी इस अवधि में संशोधित प्रविष्टियां अंकित कर ऑन-लाइन संशोधित IPR भर सकेंगे।

(अरविन्द पोसवाल)  
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक : एफ.12( )एपीएआर/ राजकाज /आईसीडीएस/2018 90341

जयपुर दिनांक 22-5-18

समस्त राजपत्रित अधिकारियों को संयुक्त शासन कार्मिक (क-1/गो.प्र. विभाग) के पत्र क्रमांक प. 13(76)कार्मिक /क-1/गो.प्र./2011 जयपुर दिनांक 07-05-2018 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि आप उक्त पत्र में दिये गये निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(डॉ. अनुराधा गोगिया)  
उप निदेशक (वि.खा.का)  
प्रभारी अधिकारी एसीआर

प्रतिलिपि:- एनालिस्ट-कम प्रोग्रामर एवं उप निदेशक, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने